न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2025/62

बैंक ऑफ बडौदा शाखा कृषि उपज मण्डी समिति, डीग रोड़, भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी राहुल देवराव गोले

.....प्रार्थी

बनाम

1. **मैसर्स द ग्रैण्ड देहाती थाली**
   (अ) दुकान नं. 212, एस.पी.एम. भरतपुर (राज0)
   (ब) कमला आर्शीवाद बिल्डिंग के पास, एसपीएम नगर, भरतपुर (राज0)
2. **संजीव कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह (प्रोपराईटर)**
   (अ) दुकान नं. 212, एस.पी.एम. भरतपुर (राज0)
   (ब) कोली मौहल्ला, कौरेर तहसील डीग,

.....अप्रार्थीगण/ऋणी/सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश **दिनांक 08.10.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी को कुल रूपये 10.00 लाख की ऋण सुविधा दिनांक 23.02.2024 को ओवर ड्रॉफ्ट (पीएमएमवाई माइक्रो एन्टरप्राईजेज) लोन उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण सुविधा के एवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ मैसर्स द ग्रैण्ड देहाती थाली प्रोपराईटर श्री संजीव कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह का हाईपोथिकेटेड स्टॉक एण्ड लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स एण्ड गुड्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 23.02.2024 एवं 16.10.2024) के अनुसार प्रार्थी के हक में दृष्टिबंधक किया था व दृष्टिबंधक विलेख निष्पादित किया था पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 23.02.2024 को ओवर ड्रॉफ्ट (पीएमएमवाई माइक्रो एन्टरप्राईजेज) लोन राशि रू. 10.00 लाख की ऋण सुविधा

2.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

उपलब्ध कराई गई थी। जिसके एवज में अप्रार्थी/ऋणी द्वारा मैसर्स द ग्रैण्ड देहाती थाली प्रोपराईटर श्री संजीव कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह का हाईपोथिकेटेड स्टॉक एण्ड लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स एण्ड गुड्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 23.02.2024 एवं 16.10.2024) को बंधक रखी जाकर प्रार्थी बैंक के हक में बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा बंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 15.01.2025 को अप्रार्थी के उक्त ऋण खाते का अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एवं प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में, बकाया राशि रू. 10,46,562.91/– एवं दिनांक 08.03.2025 तक की ब्याज एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 21.03.2025 को सभी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये गये हैं। जो दिनांक 22.03.2025 को अप्रार्थी को डिलीवर्ड/प्राप्त हो गया है। प्रार्थी/ऋणी द्वारा निर्धारित समयावधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बैंक के हक में बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है किः–

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई मैसर्स द ग्रैण्ड देहाती थाली प्रोपराईटर श्री संजीव कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह का हाईपोथिकेटेड स्टॉक एण्ड लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स एण्ड गुड्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 23.02.2024 एवं 16.10.2024) के अनुसार प्रार्थी के हक में बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था, का भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर